	दिल्ली विकास प्राधिकरण **मेडिकल सेल, जी–ब्लॉक (पूर्व में प्रेस बिल्डिंग)** **पहली मंजिल, विकास सदन** **आईएनए, नई दिल्ली – 110023**	

सं. एफ1(जीएसटी)2024/एमसी-I/मेडिकल/988 दिनांक: 11.01.2024

एफ एंड ई परिपत्र संख्या 01/2024

विषय: चिकित्सा लाभार्थियों द्वारा अपने दावे प्रस्तुत करते समय पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश

डीडीए के सभी चिकित्सा लाभार्थियों चाहे वे कार्यरत हों अथवा सेवानिवृत्त पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर हों, उन्हें चिकित्सा आउटलेट/दुकानों से दवाएं खरीदते समय और उसके बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए अपने दावे प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए :-

1. 10,000/– रुपये प्रति माह से अधिक कीमत पर खरीदी गई दवाओं के बिल के लिए भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाइन मोड यानी इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट या डेबिट कार्ड/पेटीएम आदि के माध्यम से किया जाना चाहिए। भुगतान का प्रमाण उस बिल का हिस्सा होना चाहिए, जो ओपीडी/विशेष क्रोनिक/ऑपरेशन के बाद की बीमारियों के संबंध में प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।
2. चिकित्सा लाभार्थियों को स्थानीय केमिस्ट/चिकित्सा आउटलेट से दवाएं खरीदते समय कम्प्यूटरीकृत बिल लेना चाहिए। सभी श्रेणियों के मामलों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के लिए हस्तलिखित बिल स्वीकार करना बंद कर दिया गया है।
3. दावे की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किए गए मेडिकल बिल पर चिकित्सा आउटलेट/दुकानों का जीएसटी नंबर टैक्स इनवॉइस नंबर के साथ मुद्रित होना चाहिए और दवाओं की लागत और उस पर लगाए गए और भुगतान किए गए जीएसटी के % (प्रतिशत) का उचित विभाजन होना चाहिए।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है और 1 फरवरी 2024 से प्रभावी होगा।

हस्ता0/–

मुख्य लेखा अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित : -

1. उपाध्यक्ष, वित्त सदस्य के विशेष कार्य अधिकारी
2. उपाध्यक्ष, वित्त सदस्य, अभियंता सदस्य के विशेष कार्य अधिकारी
3. मुख्य लेखा अधिकारी, प्रधान आयुक्त (पी/एलएम), मुख्य सतर्कता अधिकारी, मुख्य विधि अधिकारी, आयुक्त (एलएम/एलडी), आयुक्त (प्रणाली), आयुक्त (आवास), आयुक्त (खेल)
4. आयुक्त एवं सचिव के निजी सचिव, आयुक्त (योजना) के निजी सचिव, मुख्य वास्तुकार के निजी सचिव
5. मुख्य अभियंता (मुख्यालय), सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के निजी सचिव
6. सभी निदेशक
7. सभी उप मुख्य लेखा अधिकारी, पीएओ (ईडब्ल्यू)
8. सभी नोटिस बोर्ड

हस्ता0/–

मुख्य लेखा अधिकारी